संख्या:50/2026/563/35-4-2026/35-4002(003)/61/2026

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सहारनपुर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 30 मार्च, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-1373/त्व०आ०वि०यो0/2025-26 दिनांक 19 मार्च, 2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद-सहारनपुर में निम्नलिखित तालिका में इंगित कार्यों की रू. 3276.03 लाख (रूपये बत्तीस करोड़ छिहत्तर लाख तीन हजार मात्र जी०एस०टी० 18 % एवं लेबर सेस 01 % सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 1572.00 लाख (रूपये पन्द्रह करोड़ बहत्तर लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था उनके सामने इंगित की गयी है:-

(लाख रू. में)

क्र.	कार्य का नाम	लम्बाई (मी.)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
1	ग्राम चानचक ब्लॉक मुजफ्फराबाद में संजय वकील के घर से मा॰ जयपाल के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	200	21.59	10.00	ग्रा0अ0वि0
2	ग्राम महेश्वरीकलां ब्लॉक पुवारका में सहारनपुर कलसिया मार्ग से मस्जिद तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	250	23.61	11.00	ग्रा0अ0वि0
3	ग्राम मुस्तफापुर ब्लॉक मुजफ्फराबाद में शिव मंदिर से करम की बैठक तक व सम्बन्धित गली विजय पाल के घर से सुनील के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	200	23.81	11.00	ग्रा0अ0वि0
4	ग्राम सढौलीकदीम में ब्लॉक सढौली कदीम में पवन वकील के घर से संजीव उर्फ लड्डू के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	180	23.74	11.00	ग्रा0अ0वि0
5	ग्राम सलेमपुरगदा ब्लॉक सढौली कदम में सेवा राम सैनी के खेत से शमशान घाट तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	425	35.43	17.00	ग्रा0अ0वि0
6	ग्राम सिंकदरपुर ब्लॉक सढौली कदीम में नहर के घाट से शमशान घाट तक सी0सी0 रोड कार्य।	400	27.85	13.00	ग्रा0अ0वि0
7	नगर पंचायत छुटमलपुर में सहारनपुर छुटमलपुर मार्ग से गली नम्बर 03 में पंडित श्यामलाल के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	200	22.03	11.00	ग्रा0अ0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

8	ग्राम कबीरपुर ब्लॉक मुजफ्फराबाद में मैन सड़क के हुक्म के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	190	30.26	15.00	ग्रा0अ0वि0
9	ग्राम चंडी ब्लॉक मुजफ्फराबाद में महिपाल की दुकान से प्राथमिक विद्यालय तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	170	19.26	9.00	ग्रा0अ0वि0
10	ग्राम खुर्रमपुर ब्लॉक मुजफ्फराबाद मे प्राथमिक विद्यालय नम्बर 1 से भूतेश्वर मन्दिर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	220	24.91	12.00	ग्रा0अ0वि0
11	ग्राम बालेली ब्लॉक पुंवारका में मैन सड़क से शमशान घाट तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	300	34.26	16.00	ग्रा0अ0वि0
12	ग्राम मोहद्दीन ब्लॉक नागल में मोहद्दीनपुर-साल्हापुर सड़क से प्राथमिक विद्यालय तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	400	28.48	14.00	ग्रा0अ0वि0
13	ग्राम नंदपुर ब्लॉक रामपुर मनिहारान में श्री शिव मंदिर से शिवकुमार के घेर तक सी0सी0 रोड कार्य व नाली निर्माण कार्य।	250	26.79	13.00	ग्रा0अ0वि0
14	ग्राम कुराली ब्लॉक रामपुर मनिहारान में रमेश वाल्मीकी के घर से मुल्की की दुकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	200	25.54	12.00	ग्रा0अ0वि0
15	विकास खंड सढौली कदीम ग्राम मीरपुर गंदेवड में श्रीराम मंदिर से गजेन्द्र शर्मा की दुकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	170	22.28	11.00	ग्रा0अ0वि0
16	ग्राम उमरी खुर्द ब्लॉक रामपुर मनिहारान में रकम सिंह के खेत से सती माता की ओर से सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	450	51.35	25.00	ग्रा0अ0वि0
17	ग्राम आजमपुर मजब्ता ब्लॉक रामपुर मनिहारान में मा॰ धर्मसिंह के घेर से मैन सड़क तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	250	25	12.00	ग्रा0अ0वि0
18	ग्राम पंचायत ताल्हापुर मजरा जानीपुर ब्लॉक मुजफ्फराबाद पुलिया से लेकर अश्वनी के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	250	34.39	17.00	ग्रा0अ0वि0
19	ग्राम डंघेडा में शिव मंदिर से जसवीर त्यागी व विकास त्यागी के घर तक एक सहायक गली सहित सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य	215	16.13	8.00	ग्रा0अ0वि0
20	ग्राम गंगदासपुर जट्ट में नरेन्द्र पाल के घर से प्रहलाद के घर तक सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य	235	27.03	13.00	ग्रा0अ0वि0
21	ग्राम मेघराजपुर में सूरजमल के मकान से प्राइमरी स्कूल तक सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य	275	22.98	11.00	ग्रा0अ0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

22	ग्राम साल्हापुर में चरण सिंह के घेर से विनोद नाई के घर तक व राजवीर के घर से ऋषिपाल के घर तक सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य	345	28.51	14.00	ग्रा0अ0वि0
23	ग्राम माजरी में सुशील के मकान से मोहर सिंह के घर तक सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य	300	28.69	14.00	ग्रा0अ0वि0
24	ग्राम तैय्याबपुर बड़ा में सतपाल के मकान से बलराम भगत के घर तक व नकली के घर से संदीप के घर तक सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य	390	31.99	15.00	ग्रा0अ0वि0
25	ग्राम मिरगपुर में प्रविन्द्र के खेत से देवेन्द्र के घर तक सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य	340	26.55	13.00	ग्रा0अ0वि0
26	ग्राम चंदनपुर मजतबा में मेन रोड से शिव मंदिर तक एक सहायक गली सहित सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य	445	34.86	17.00	ग्रा0अ0वि0
27	ग्राम बडगांव में बाबी के मकान से बबलू के मकान तक सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य	210	18.54	9.00	ग्रा0अ0वि0
28	ग्राम खजुरी में प्राथमिक विद्यालय से सुरेश के मकान की ओर सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य	315	31.99	15.00	ग्रा0अ0वि0
29	ग्राम रणखंडी छज्जू पट्टी के काली माता मंदिर से सुनील शर्मा के मकान तक 2 सहायक गली सहित सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य	515	54.17	26.00	ग्रा0अ0वि0
30	ग्राम रणखंडी गुलाल पट्टी में ओमप्रकाश के मकान से चरण सिंह पुत्र त्रिलोक सिंह के मकान तक सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य	540	50.56	24.00	ग्रा0अ0वि0
31	ग्राम जडौदा पांडा में बड़ी माता से शिव मंदिर तक सी सी व नाली कार्य	235	16.88	8.00	ग्रा0अ0वि0
32	ग्राम जडौदा पांडा में प्रमोद आर्य के घर से फरमान टेलर तक सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य	270	22.92	11.00	ग्रा0अ0वि0
33	ग्राम जखवाला में मेन रोड से सतीश के मकान की ओर सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य	220	26.62	13.00	ग्रा0अ0वि0
34	ग्राम सूभरी में धूमगढ़-सूभरी काली सड़क से भोपाल के मकान की ओर सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य	210	25.67	12.00	ग्रा0अ0वि0
35	ग्राम बेहडा में सरकारी अस्पताल से मंदिर को होते हुए डा० भूरा में मकान तक सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य	350	35.13	17.00	ग्रा0अ0वि0
36	ब्लाक मुज़्ज़फराबाद के ग्राम कालूवाला जहानपुर के मजरा कुरड़ीखेडा से शहजहानपुर की ओर नव निर्माण कार्य	3500	134.45	65.00	लो0नि0वि0
37	विकासखंड नकुड के ग्राम बांदुखेडी में श्रवण के मकान से करण मुखिया के मकान तक सी सीरोड व नाली निर्माण कार्य	475	92.45	44.00	ग्रा0अ0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

38	विकास खंड नकुड के ग्राम जुद्दी में जुद्दी गेट से श्रवण की दुकानतक सी सी रोडव नाली निर्माण कार्य	440	56.18	27.00	ग्रा0अ0वि0
39	विकास खंड नकुड के ग्राम खेडा अफगान में सामुदायिक शोचालय सेवेदपाल के घर तक व महेंद्र कश्यप के घर से मांगेराम कश्यप के घर तक सी सी रोड वनाली निर्माण कार्य	504	46.07	22.00	ग्रा0अ0वि0
40	विकास खंड नकुड के ग्राम साल्हापुर में मित्तर सैन के मकान सेशमशान घाट तक सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य	495	56.86	27.00	ग्रा0अ0वि0
41	विकास खंड नकुड के ग्राम टोली में अरविन्द के घर से संदीप आर्य केघर तक व चार सहायक गलियों सहित सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य	503	48.31	23.00	ग्रा0अ0वि0
42	विकास खंड नकुड के ग्राम टाबर में दिनेश के घर से राजकुमार के घरतक व तीन सहायक गलियों सहित सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य	330	28.65	14.00	ग्रा0अ0वि0
43	विकास खंड नकुड के ग्राम टाबर में कान सिंह के घेर से शिव कुमार केघर तक व मंधौर मार्ग से राजकुमार के घर तक सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य	320	24.81	12.00	ग्रा0अ0वि0
44	विकास खंड नकुड के ग्राम समसपुर में मेन रोड से चौ०मामचंद व मेनरोड से अंचल के घर तक व बाबुराम नम्बरदार के घर से पानी की टंकी की ओर सी सी रोडव नाली निर्माण कार्य	376	29.87	14.00	ग्रा0अ0वि0
45	विकास खंड नकुड के ग्राम सांपला बेगमपुर में सांपली-तिरपडी बायपाससे सुन्दर के घर तक सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य	280	22.43	11.00	ग्रा0अ0वि0
46	विकास खंड नकुड के ग्राम सरूरपुर तगा उर्फ़ नीची नकुड में सुशीलसैनी के घर से मनीराम के घर तक व शिव मंदिर से सुशील के घर की ओर व मेन रोड से डा० सुभाष के घर तक सी सी रोड व नालीनिर्माण कार्य	430	35.11	17.00	ग्रा0अ0वि0
47	विकास खंड नकुड झबीरण में यशवीर के घर से जगहैता की ओर आनंद वीर केघर तक सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य	248	31.4	15.00	ग्रा0अ0वि0
48	विकास खंड सरसावा के ग्राम धौलापड़ा में प्रेम के घर से कवरपाल के घर तक सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य	230	23.43	11.00	ग्रा0अ0वि0
49	ग्रामसलारपुरा में नकुड-गंगोह मुख्य मार्ग से अरुण के मकान की ओर सी०सी० सड़क व नालीनिर्माण कार्य।	270	33.79	16.00	ग्रा0अ0वि0
50	ग्राम जानखेड़ा में जानखेड़ा- तीतरों मुख्य मार्ग से शिवकुमार केमकान की ओर सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य।	548	49.29	24.00	ग्रा0अ0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

51	ग्राम कम्हेडा में मुख्य मार्ग, धर्मवीर के मकान से महिपाल के मकानकी ओर सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य ।	500	45.7	22.00	ग्रा0अ0वि0
52	ग्राम सुखेड़ी में मुख्य मार्ग पर ट्रांसफार्मर से हुकम सिंह केमकान की ओर सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य।	421	46.09	22.00	ग्रा0अ0वि0
53	ग्राम माधोपुर में किरणपाल सैनी के मकान से राजवाहे की ओर सी०सी०सड़क निर्माण कार्य।	550	37.68	18.00	ग्रा0अ0वि0
54	ग्राम टिकरौल में टिकरौल-छछरौली बाईपास मार्ग से पशु चिकित्सालयहोते हुए कुँवरपालके मकान की ओर सी०सी०सड़क व नाली निर्माण कार्य।	464	46.01	22.00	ग्रा0अ0वि0
55	ग्राम बिशनोट में रफल के मकान से नबाब सिंह के मकान की ओर सी०सी०सड़क व नाली निर्माण कार्य	259	25.34	12.00	ग्रा0अ0वि0
56	ग्राम खुडाना में नाथी सिंह के मकान से नीटू के मकान की ओर सी०सी०सड़क व नाली निर्माण कार्य	253	24.05	12.00	ग्रा0अ0वि0
57	ग्राम ढायकी में हरि सिंह के मकान से शमशानघाट की ओर लेपन द्वारासड़क निर्माण कार्य	600	19.79	9.00	ग्रा0अ0वि0
58	ग्राम मोरा मेंमोरा-दल्हेडी मार्ग से मोरा-पुलिस चौकी मुख्य मार्ग की ओर लेपन द्वारासड़क निर्माण कार्य	500	21.11	10.00	ग्रा0अ0वि0
59	ग्राम बन्दाहेडी में मास्टर जयपाल के मकान से प्राथमिक विद्यालय कीओर सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य	366	30.41	15.00	ग्रा0अ0वि0
60	ग्राम इस्लामनगर में यशपाल कश्यप के मकान से शाहनवाज के मकान की ओरसी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य	200	24.34	12.00	ग्रा0अ0वि0
61	ग्राम बिशनपुर में मांगेराम रूहेला के मकान से विजयपाल के मकान कीओर सड़क निर्माण कार्य	200	15.89	8.00	ग्रा0अ0वि0
62	ग्राम दौलतपुर में मुस्तकीम के मकान से फत्तू हसन के मकान की ओरसड़क व नाली निर्माण कार्य	341	32.09	15.00	ग्रा0अ0वि0
63	ग्राम भोजपुर में बारात घर से रमेश के मकान की ओर सी0सी0 सड़क वनाली निर्माण कार्य	201	29.24	14.00	ग्रा0अ0वि0
64	ग्राम मौहम्मदपुर गुर्जर में प्राथमिक विद्यालय से राजवीर, ब्रजपालव बिशन कश्यप के मकान की ओर सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य	200	13.99	7.00	ग्रा0अ0वि0
65	ब्लाक रामपुर मनिहारन के ग्राम बुढ़ढा खेडा संतलाल में कंवरपाल के घर से सोमपाल कीदुकान की ओर सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य	240	17.91	9.00	ग्रा0अ0वि0
66	ब्लाक रामपुर मनिहारन के ग्राम कंजोली में रविदास मंदिर से जिन्दाहसन के घर की ओर सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य	240	22.08	11.00	ग्रा0अ0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

67	ब्लाक नागल के ग्राम अध्याना में मांगेराम केमकान से धनप्रकाश के घर तक व अरविन्द के घरसे टीनू के घर की ओर एक सहायक गली सहित सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य	220	14.72	7.00	ग्रा0अ0वि0
68	ब्लाक ननौता के ग्राम अनंतमऊ में मेन रोड से शिव मंदिर की ओर सी सीरोड व नाली निर्माण कार्य	235	19.5	9.00	ग्रा0अ0वि0
69	ब्लाक नागल के ग्राम खजुरवाला में शिव मंदिर से पीर की ओर सी सीरोड वनाली निर्माण कार्य	260	24.48	12.00	ग्रा0अ0वि0
70	ब्लाक रामपुर मनिहारन के ग्राम चकवाली में रघुवीर पाल के घर सेरामजीलाल के घेर की ओर सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य	575	49.92	24.00	ग्रा0अ0वि0
71	ब्लाक बलियाखेडी के ग्राम रेडी मलकपुर में नहर की पटरी से राजवाहेकी पटरी पर पुलिया तक तीन सहायक गली सहित सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य	735	72.73	35.00	ग्रा0अ0वि0
72	ब्लाक बलियाखेडी के ग्राम चांदनपुर में अनुज के घर से ग्राम मनानीशिव मंदिर तक सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य	530	45.74	22.00	ग्रा0अ0वि0
73	ब्लाक रामपुर मनिहरन के ग्राम घाटखेडा में ऋषिपाल के घर से तेजसिंह चैयरमेन के घर व रामपाल के घेर से साहब सिंह प्रमुख के घर की ओर सी सी रोडव नाली निर्माण कार्य	510	40.19	19.00	ग्रा0अ0वि0
74	ब्लाक नागल के ग्राम डांगडौली में डा० कुलवंत के घर से पहाडपुर कीओर लीलू के घर की ओर सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य	202	19.06	9.00	ग्रा0अ0वि0
75	ब्लाक नागल के ग्राम बोहड़पुर में मैनपाल के घर से योगी के घर केघेर को होते हुए सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य	215	15.73	8.00	ग्रा0अ0वि0
76	**नगर क्षेत्र सहारनपुर के वार्ड 02 राजौरी गार्डन में राजकुमार प्रधान के मकान से वासु के मकान तक सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य**	85	15.3	7.00	ग्रा0अ0वि0
77	**नगर क्षेत्र सहारनपुर के वार्ड 19 न्यू गोपाल नगर में कृष्णलाल के मकान से दो सम्बंधित गली सहित निशांत बजाज के मकान तकसी सी रोड व नाली निर्माण कार्य**	145	20.35	10.00	ग्रा0अ0वि0
78	**नगर क्षेत्र सहारनपुर के वार्ड 12 खलासी लाइन में संजय चायवाला से विजय के मकान तक सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य**	170	16.78	8.00	ग्रा0अ0वि0
79	**नगर क्षेत्र सहारनपुर के वार्ड 21 कपिल विहार में हरवीर के मकान से रामवीर व डा० एस०पी० सिंह के मकान से होते हुए एक सम्बंधित गली सहित अनिल के मकान तकसी सी रोड व नाली निर्माण कार्य**	250	31.79	15.00	ग्रा0अ0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

80	नगर क्षेत्र सहारनपुर के वार्ड 26 न्यू नन्दपूरी कालोनी में अरविन्द के मकान से दो सम्बंधित गली सहित सोनू की दुकानतकसी सी रोड व नाली निर्माण कार्य	310	40.8	20.00	ग्रा0अ0वि0
81	नगर क्षेत्र सहारनपुर के वार्ड 38 चंद्रलोक कालोनी में रांगा सिंह के मकान से भगवती कालोनी के पिछले गेट तक व इन्द्रसेन के मकान से रमेशचंद के मकान से होते हुए गुप्ता जी की दुकान तक सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य	330	46.54	22.00	ग्रा0अ0वि0
82	नगर क्षेत्र सहारनपुर के वार्ड 39 विनय विहार गली नंबर 01 पेपरमिल रोड से एक सम्बंधित गली सहित विकास त्यागी की दुकान तक सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य	225	26.5	13.00	ग्रा0अ0वि0
83	नगर क्षेत्र सहारनपुर के वार्ड 46 गणेश विहार में मेन रोड/कर्णवाल प्रोविजन स्टोर से ढमोले की ओर सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य	220	30.25	15.00	ग्रा0अ0वि0
84	नगर क्षेत्र सहारनपुर के वार्ड 46 श्यामविहार कालोनी में माँ भगवती प्रोपर्टी के सामने से संजू कश्यप के मकान तक, सुशील के प्लाट से जितेन्द्र के मकान तक व राहुल के मकान से प्रीती के मकान तकसी सी रोड व नाली निर्माण कार्य	290	41.87	20.00	ग्रा0अ0वि0
85	नगर क्षेत्र सहारनपुर के वार्ड 46 सुपर विहार में श्री बांके बिहारी मंदिर से दो सम्बंधित गली सहित ढमोले की ओर सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य	325	53.88	26.00	ग्रा0अ0वि0
86	नगर क्षेत्र सहारनपुर के वार्ड 50 हकीकतनगर में सन्नी के मकान से एक सम्बंधित गली सहित नरेश ढींगरा के मकान तक सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य	160	21.77	10.00	ग्रा0अ0वि0
87	नगर क्षेत्र सहारनपुर के वार्ड 55 लक्ष्मण सिंह कालोनी में मेन रोड से एक सम्बंधित गली सहित बी.एच.एस. इंटर कालेज तक व अनिल के मकान से दो सम्बंधित गली सहित रविन्द्र के मकान तक सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य	340	29.23	14.00	ग्रा0अ0वि0
88	नगर क्षेत्र सहारनपुर के वार्ड 50 शास्त्रीनगर में अंकित जनेजा के मकान से बाबा अमरनाथ मंदिर होते हुए वासु सैनी के मकान तक तक सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य	200	44.01	21.00	ग्रा0अ0वि0
89	नगर क्षेत्र सहारनपुर के वार्ड 06 सिद्दार्थ कालोनी में शशि के मकान से नीरज त्यागी के मकान तकतक सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य	165	19.23	9.00	ग्रा0अ0वि0
90	नगर क्षेत्र सहारनपुर के वार्ड 26 श्याम विहार में मोहनलाल के मकान से अन्नू के मकान को होते हुए रोहताश के मकान तक सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य	200	40.42	19.00	ग्रा0अ0वि0
91	नगर क्षेत्र सहारनपुर के वार्ड 19 न्यू गोपाल नगर में मधु के डिपो से एक संबधित गली सहित शकुंतला देवी के मकान तक व कृष्णलाल के मकान से दो सम्बंधित गली सहित निशांत बजाज के मकान तक सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य	200	21.96	11.00	ग्रा0अ0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

92	ब्लाक बलियाखेडी के ग्राम कोटा बस स्टैंड से प्राथमिक स्कूल की ओर सी सी रोड व नाली निर्माण का कार्य	520	74.02	36.00	लो0नि0वि0
93	**नगर निगम के वार्ड संख्या 13 हरेटी में पुन्वारका ब्लाक के बराबर में जमालपुर,सलेमपुर पाडली होते हुए खुर्द संपर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य**	700	36.24	17.00	लो0नि0वि0
94	विकास खंड सढोली कदीम के ग्राम का समपुर से विकास नगर मार्ग तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य	855	34.11	16.00	लो0नि0वि0
95	विकास खंड मुज्जफराबाद में सहारनपुर विकास नगर मार्ग से ग्राम ताजपुरा होते हुए रंडोल ताजपुर मार्ग निर्माण कार्य	1200	65.1	31.00	लो0नि0वि0
96	**ब्लाक पुन्वारका कैलाशपुर से महादेव मंदिर से दूध फैक्ट्री की ओर नाला निर्माण का कार्य**	320	48.73	23.00	लो0नि0वि0
97	**वार्ड नंबर 31 मोबिन नगर मानकमऊ में शाहिल के घर से अशरफ व कलीम के घर से मेहंदी तक इंटरलॉकिंग टाइल्स से मार्ग व नाली निर्माण कार्य**	260	18.25	9.00	लो0नि0वि0
98	ग्राम फिराहेडी ब्लाक बलियाखेडी में कब्रिस्तान से रंगेल तक संपर्क मार्ग पर इंटरलॉकिंग से मार्ग व नाली निर्माण कार्य	580	32.21	15.00	लो0नि0वि0
	योग	36131	3276.03	1572.00	

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
2. प्रदेश की राजकीय कार्यदायी संस्थाओं को सेंटेज चार्ज वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-7/10-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मार्च, 2023 के अनुसार देय होगा। योजनान्तर्गत कंटीजेंसी अनुमन्य नहीं है।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।
4. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।
5. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनाँक 22 मार्च, 2021 के अनुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षण आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
6. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17 (4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।
7. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

8. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय। प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट / स्टील / ग्रिट/मोरम इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं0-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. परियोजना की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना हेतु जनपद स्तर पर कार्यकारी आदेश निर्गत करने जिसे पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
10. कार्य का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्य के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे मार्ग की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
11. कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा सी०एम०आई०एस० पोर्टल पर जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
12. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
13. त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर, 2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार किये जायेंगे।
15. ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या-1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
16. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनश्चित किया जायेगा।
17. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
18. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
19. परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
20. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
21. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2026 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

22. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
23. कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।
24. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।
25. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।
26. यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
27. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
28. कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।
29. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023- 17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की द्वितीय किश्त हेतु निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए जनपद/कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की वास्तविक लागत के अनुसार मांग की जायेगी। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।
30. प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।
31. प्रश्नगत कार्य के लिये नियमानुसार लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।
32. नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या: 60/2025/440/35-4-2025/35-4099/184/2023 (पार्ट-1) दिनांक 22 अप्रैल, 2025 में निहित व्यवस्था के अंतर्गत सीएमआईएस पोर्टल पर जियोटैगिंग के साथ पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

2- उक्त तालिका के क्रमांक-**76 से 91, 93, व 97** पर इंगित कार्यों पर होने वाले व्यय रू0 2,66,00,000 (रू0 दो करोड़ छाछठ लाख मात्र) को 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़के-337-सड़क निर्माण कार्य-03- त्वरित आर्थिक विकास योजना- **0302-शहरी क्षेत्रों में सड़कों के सुधार के लिये एकमुश्त व्यवस्था**-24-वृहद निर्माण कार्य के नामें, क्रमांक-**96** पर इंगित कार्य पर होने वाले व्यय रू0 23,00,000 (रू0 तेईस लाख मात्र) को 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत- 02-**मल जल तथा सफाई**-101-शहरी सफाई सेवायें-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0301-**जल निकासी**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कार्यक्रमों के लिये एकमुश्त व्यवस्था-24- वृहद निर्माण कार्य के नामे तथा शेष कार्यों पर होने वाले व्यय रू0 12,83,00,000 (रू0 बारह करोड़ तिरासी लाख मात्र) को **लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04- जिला तथा अन्य सड़के-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0301-ग्रामीण क्षेत्रों में नयी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तंर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

संख्या:50/2026/563(1)/35-4-2025/35-4002(003)/61/2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डायुक्त, सहारनपुर मंडल ।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, सहारनपुर।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, सहारनपुर।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन,नियोजन विभाग।
14- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, सहारनपुर।
15- सम्बन्धित अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सहारनपुर।
16- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, सहारनपुर।
17- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।